

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

1- अपील डिक्री/टी.ए./2011/2395/बीकानेर

1- करनाराम पुत्र श्री परमाराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसान :-

1/1- आशादेवी बेवा करनाराम

1/2- ओमप्रकाश पुत्र करनाराम

1/3- चन्द्रप्रकाश पुत्र करनाराम

1/4- कालूराम पुत्र करनाराम

1/5- दीपचन्द पुत्र करनाराम

सभी जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर
तहसील व जिला बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1- सार्वजनिक प्याऊ एवं मन्दिर श्री रामदेव खेजड़ी ग्राम प्रन्यास
सुजानदेसर, बीकानेर जरिये कार्यवाहक प्रन्यासी धनपतराम पुत्र
छोटूराम, जाति माली, निवासी ग्राम सुजानदेसर, तहसील व
जिला बीकानेर।

2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थीगण

2- निगरानी/टी.ए./2011/2393/बीकानेर

1- करनाराम पुत्र श्री परमाराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसान :-

1/1- आशादेवी बेवा श्री करनाराम

1/2- ओमप्रकाश पुत्र श्री करनाराम

1/3- चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री करनाराम

1/4- कालूराम पुत्र श्री करनाराम

1/5- दीपचन्द पुत्र श्री करनाराम

सभी जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर
तहसील व जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1- किशन (मृतक) पुत्र गोरुराम के विधिक वारिसान :-

1/1- राधेश्याम पुत्र श्री किशन

1/2- मूलचन्द पुत्र श्री किशन

1/3- बल्लू पुत्र श्री किशन

सभी जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर
तहसील व जिला बीकानेर।

1/4- मु. संतोष पुत्र श्री किशन पत्नी श्री ओमजी सांखला
निवासी ग्राम श्रीरामसर तहसील व जिला बीकानेर।

1/5- मु. रामप्यारी पुत्री श्री किशन पत्नी श्री रामू भाटी
निवासी पुरानी लाईन चान्दमल बाग के पास,
गंगाशहर बीकानेर।

2- नत्थूराम पुत्र बाबूलाल

3- जेठमल पुत्र भंवरलाल

4- धनपतराम पुत्र छोटूराम

5- घनश्याम पुत्र गोपालराम

6- किशनलाल पुत्र भगाराम

7- छोटूराम पुत्र गेरूराम

8- रामेश्वर पुत्र रावतराम

जाति माली, निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील
व जिला बीकानेर।

9- सुनील कुमार पुत्र रामनाथ गहलोत, निवासी बागीनाड़ा
के पास वाली गली, रानी बाजार बीकानेर।

.....अप्रार्थीगण

खण्ड-पीठ

डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

श्री राजेश सिंह, सदस्य

उपस्थित (अपील संख्या 2395/2011):-

श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सलमान खान, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

उपस्थित (निगरानी संख्या 2393/2011):-

श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक प्रार्थी

श्री सलमान खान, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 व 4

निर्णय

दिनांक:-02-7-2026

1- यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 तथा निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 48/09 एवं 16/10 में पारित निर्णय दिनांक 08-4-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2- हस्तगत अपील व निगरानी में विवादित भूमि व मुख्य विवाद बिन्दु समान हैं तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दायर पृथक-पृथक अपीलों को एक ही निर्णय से निर्णीत किया गया है, अतः हमारे द्वारा प्रस्तुत अपील व निगरानी में साथ बहस सुनी जाकर इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

3- अपील प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वाद उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर न्यायालय में विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 राजस्थान राज्य जरिये पैरोकार राज प्रस्तुत कर इसमें कथन किया कि ग्राम सुजानदेसर तहसील बीकानेर की रोही में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर-459 रकबा 0.04 हैक्टर उसकी खातेदारी कृषि भूमि है, जिसे राजस्व अभिलेखों में वक्त सेटलमेंट गलत रूप से गैर मुमकिन प्याऊ दर्ज कर दिया गया है। अतः वाद को डिक्री कर राजस्व अभिलेख को दुरुस्त किया जाकर इस भूमि को पुनः मुमकिन काबिल काश्त दर्ज किया जावे। विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार

बीकानेर ने विवादित भूमि पर मंदिर व प्याऊ होना जाहिर कर किस्म गैर मुमकिन प्याऊ सही दर्ज होना बताकर वाद को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की गई। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26-12-2008 द्वारा भू-प्रबंध विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन को उचित एवं अधिकारिता अनुसार कार्यवाही मानते हुये वाद खारिज कर निर्णय में यह विवेचन अंकित किया कि प्याऊ, मंदिर एवं कुण्ड हेतु पृथक सर्वे खसरा संख्या 459 देना उचित है यद्यपि यह प्याऊ सार्वजनिक नहीं होकर खातेदार की निजी संपत्ति होगी। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 सार्वजनिक प्याऊ एवं मंदिर श्री रामदेवजी खेजड़ी ग्राम प्रन्यास सुजानदेसर द्वारा न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8-4-2011 द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को इसमें प्याऊ का सार्वजनिक न होकर खातेदार की निजी सम्पत्ति होने की टिप्पणी की हद तक निरस्त करते हुये शेष निर्णय व डिक्री को बहाल रखा गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-4-2011 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी वादी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

4- निगरानी प्रकरण के तथ्यों अनुसार प्रार्थी वादी करनाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत वाद उपखण्ड अधिकारी बीकानेर न्यायालय में प्रस्तुत कर विवादित भूमि ग्राम सुजानदेसर तहसील बीकानेर की खसरा नम्बर 457, 458 एवं 459 को स्वयं की खातेदारी भूमि होना बताते हुए अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। उक्त दावे के साथ प्रार्थी ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत किया जिसमें विचारण

न्यायालय ने दिनांक को 19-03-2010 को इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर कोई सामाजिक जागरण, कोई चिकित्सकीय या परामर्श शिविर आयोजित न करें तथा प्रार्थी को बेदखल न करें। अप्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को रिकॉल करने प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 23-03-2010 को अपना आदेश रिकॉल कर खसरा संख्या 459 की हद तक प्रदत्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अप्रभावी घोषित कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 8-4-2011 द्वारा खारिज कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 23-03-2010 को यथावत रखा गया। इस निर्णय दिनांक 8-4-2011 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

5- उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

6- अपीलार्थी प्रार्थी वादी स्व० करनाराम के वारिसान के विद्वान अभिभाषक ने अपील में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम सुजानदेसर तहसील बीकानेर में स्थित खसरा नं. 269/2 से बना नया खसरा नं. 459 रकबा 0.04 हैक्टेयर है, जो प्रारम्भ से ही परमाराम एवं उसके उत्तराधिकारियों की खातेदारी भूमि रही है। खसरा नं. 459 का क्षेत्रफल मात्र 0.04 हैक्टेयर है, जिस पर अपीलार्थी को स्वयं हेतु रहवाशी ढाणी, खलियान एवं औजार रखने का छपरा, कुआँ, कुण्ड एवं देवता का स्थान बनाने का अधिकार है, अर्थात् वह कुल खेत के 50 वें हिस्से उक्तानुसार निर्माण कर उपयोग कर सकता है। मौजूदा खेत कुल 41 बीघा का है जिसमें से केवल 0.04 है० का उपयोग किया है जो भी कृषि प्रयोजनार्थ ही है। राजस्व रिकॉर्ड से यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलार्थी करनाराम उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है।

राजस्व अभिलेख में खातेदार के रूप में अपीलार्थी का नाम लगातार दर्ज रहा है जिसे किसी सक्षम आदेश द्वारा कभी निरस्त नहीं किया गया। सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान खसरा भू-प्रबन्ध में ए.आर.ओ. का भूमि की किस्म परिवर्तन बाबत एक दिनांक रहित आदेश नोट अंकित किया गया है किन्तु यह नोट कब, किस आदेश के आधार पर और किस अधिकारी द्वारा अंकित किया गया, इसका कोई उल्लेख अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे संदिग्ध नोट के आधार पर अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही कृषि भूमि को गैर मुमकिन दर्ज किया जा सकता है। प्रकरण में राज्य सरकार ने अपने जवाब में अपीलार्थी को विवादित भूमि का खातेदार होना स्वीकार किया है, इसलिए केवल गैर मुमकिन प्याऊ दर्ज होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भूमि सार्वजनिक प्याऊ की होकर किसी ट्रस्ट की संपत्ति हो गई है। तथाकथित ट्रस्ट के अस्तित्व अथवा प्याऊ के सार्वजनिक होने का कोई वैध प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर ने आदेश दिनांक 02-05-2025 द्वारा ट्रस्ट डीड के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया है अर्थात् कथित ट्रस्ट कभी विधिक अस्तित्व में ही नहीं आया। जिस व्यक्ति अथवा प्रन्यास का विधिक अस्तित्व अथवा विवादित भूमि पर स्वामित्व ही साबित नहीं है, तो उसे अपील प्रस्तुत करने एवं अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय में दिये गये ऑब्जरवेशन को निरस्त करना एक त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी अनुसार विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अपील केवल डिक्री अथवा क्रियात्मक आदेश के विरुद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है, मात्र आदेश में प्रदत्त किसी फाईंडिंग के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने

राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय में मात्र स्पष्टीकरण दिया था जिसमें कोई त्रुटि नहीं थी। प्रत्यर्थी विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए विधिवत रूप से उसे पृथक से धारा 96 सीपीसी का आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील की अनुमति ली जानी चाहिए थी, लेकिन मातहत अपीलीय न्यायालय ने बिना आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र विधि के बाध्यकारी प्रावधान की अवहेलना कर त्रुटिपूर्ण निर्णय से प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है। करनाराम विवादित भूमि का खातेदार है इसलिए विचारण न्यायालय के ऑब्जरवेशन्स को अपास्त करना अपरोक्ष रूप से उसकी खातेदारी को समाप्त करने के समान है जो कतई विधिसम्मत होना नहीं माना जा सकता। अतः राजस्व अपीलीय प्राधिकारी न्यायालय बीकानेर के निर्णय दिनांक 08-4-2011 को अपास्त कर अपीलार्थी/प्रार्थी की अपील व निगरानी स्वीकार की जावे।

प्रार्थी वादी स्व० करनाराम के वारिसान के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी याचिका में अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नं. 269/2 से नया खसरा नं. 459 बना है, जो प्रारम्भ से प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों की खातेदारी भूमि रही है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का उपयोग करने में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो प्रार्थी को प्रतिरक्षा स्वरूप दावा एवं टी०आई० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर खसरा नं. 459 की भूमि किस्म गैर मुमकिन प्याऊ अंकित होने के आधार पर न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा को गलत रूप से अप्रभावी घोषित कर दिया तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इसी आधार पर आदेश को यथावत रखा है। राजस्व अभिलेखों से प्रार्थी का कब्जा एवं खातेदारी अधिकार दोनों सिद्ध हैं जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है तथा यदि प्रार्थी के पक्ष में स्थगन नहीं दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। सार्वजनिक प्याऊ प्रन्यास

अथवा ट्रस्ट का अस्तित्व ही संदेहास्पद है। देवस्थान विभाग, बीकानेर द्वारा दिनांक 02-05-2025 को ट्रस्ट पंजीकरण का आवेदन निरस्त किया जा चुका है तथा प्रकरण में विपक्षी ने कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि को सुरक्षित व संरक्षित बनाए रखे जाने हेतु यथास्थिति जारी करना न्यायोचित है। अतः निगरानी स्वीकार कर प्रार्थी के कब्जे एवं खातेदारी अधिकारों का संरक्षण किया जाए।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील व निगरानी में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रार्थना पत्र के साथ सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर का प्रकरण संख्या 58/2008 सार्वजनिक प्याऊ व मन्दिर श्री रामदेवजी खेजड़ी धाम प्रन्यास सुजानदेसर बनाम चन्द्रप्रकाश में प्रदत्त निर्णय दिनांक 02-5-2025 की प्रति प्रस्तुत करने के साथ-साथ अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1978 ए.आई.आर. पेज-88, 1974 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज-1126, 2003 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज-1989, 2020 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज-4038, 1989 आर.आर.डी. पेज-292, 1997 डी.एन.जे. (राज.) पेज-747 एवं 2002 आर.बी. जे. पेज-163 पेश की।

7- विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण ने अपील में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी करनाराम का विवादित खसरा नं. 459 रकबा 0.04 हैक्टेयर पर कोई वैध अधिकार सिद्ध नहीं होता है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी में लम्बे समय से उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन प्याऊ दर्ज है तथा इस प्रविष्टि को कभी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। प्रकरण में जमाबन्दी प्रविष्टि में एक खाते में ही तीन अलग-अलग खसरा उल्लेखित होने मात्र से ही अपीलार्थी का कोई अधिकार नहीं बनता है। महत्वपूर्ण है कि गैर मुमकिन प्याऊ का खसरा नम्बर 459 अलग से दर्ज है। माननीय राजस्व उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट

पीटिशन संख्या-6700/2011 में निर्णय दिनांक 28-7-2011 में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि जहां अलग-अलग खसरा अलग-अलग काश्तकार का नाम दर्ज है, वहां पर केवल मात्र संयुक्त खाता होने से ही उन्हें सहकाश्तकार नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार किसी अन्य खसरा के मालिक को स्वयं से भिन्न खसरे पर कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि केवल मात्र एकल खाता होना ही पर्याप्त नहीं है। जहां पर अलग अलग खसरे हों वहां पर हर खसरे के मालिक का अपनी भूमि पर स्वतंत्र अधिकार है। विवादित भूमि पर स्थित प्याऊ एवं मंदिर का उपयोग लंबे समय से सार्वजनिक धार्मिक स्थल के रूप में होता रहा है तथा आमजन भी उक्त भूमि का सार्वजनिक रूप से भोग-उपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी इन पर निजी स्वामित्व का दावा कर सार्वजनिक उपयोग वाली भूमि पर अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वस्तुस्थिति अनुसार निर्णय दिया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है।

विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी सार्वजनिक प्याऊ एवं मंदिर श्री रामदेव खेजड़ी ग्राम प्रन्यास जरिये कार्यवाहक प्रन्यासी को विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित पक्षकार मानकर ही अपील स्वीकार की है। यदि विवादित भूमि सार्वजनिक प्याऊ एवं मंदिर की है तो उसके हितों की रक्षा हेतु अपील प्रस्तुत करना पूर्णतः वैध है। अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 459 किस्म गैर मुमकिन प्याऊ की प्रविष्टि गलत है। उक्त भूमि सार्वजनिक धार्मिक उपयोग की है तथा ग्रामवासियों द्वारा पूजा अर्चना हेतु प्रयुक्त होती रही है। प्रार्थी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय बीकानेर में अप्रार्थीगण के विरुद्ध घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व गठित सार्वजनिक प्रन्यास को निरस्त करने बाबत पृथक से दावा भी किया हुआ है, इसलिए एक ही विषयवस्तु पर दोनों न्यायालयों

में प्रकरण नहीं चल सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार होकर पूर्णतया विधिसम्मत हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्व उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट पीटिशन संख्या-6700/2011 कमला किशोर बाहेती बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में निर्णय दिनांक 28-7-2011 व पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बीकानेर में चल रहे प्रकरण संख्या 1490/2016 में आदेशिका आदि की प्रतिलिपि पेश की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने निगरानी याचिका में जवाब बहस में कथन किया कि प्रार्थी स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। विवादित खसरा नं. 459 राजस्व अभिलेखों में लम्बे समय से गैर मुमकिन प्याऊ दर्ज है। जब तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन प्याऊ को गलत प्रविष्टि होना साबित नहीं करवाया जाता है तब तक उसे स्थगन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। भूमि सार्वजनिक प्याऊ एवं मंदिर की है तथा लंबे समय से ग्रामवासियों के धार्मिक उपयोग में रही है। स्थगन आदेश से सार्वजनिक हित प्रभावित होगा। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रिकॉर्ड व तथ्यों का परीक्षण कर खसरा नम्बर 459 पर प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना अस्वीकार की है जिसमें क्षेत्राधिकार, विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय यथावत रखा जावे तथा विवादित भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में कोई स्थगन आदेश पारित न किया जावे।

8- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ-साथ रिकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

9- अपील व निगरानी प्रकरण में मुख्य विवाद खसरा नम्बर 459 रकबा 0.04 हैक्टर बाबत है जिसके लिए अपीलार्थी करनाराम ने इसकी किस्म गैर मुमकिन प्याऊ से बदल कर पुनः कृषि मुमकिन काबिल काश्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बीकानेर न्यायालय में दावा किया, जिस पर निर्णय व डिक्री दिनांक 26-12-2008 से हालांकि दावा खारिज कर दिया गया लेकिन निर्णय में यह फाईन्डिंग दी गई कि इस भूमि पर स्थित प्याऊ सार्वजनिक न होकर खातेदार की निजी सम्पत्ति होगी। इस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रत्यर्थी सार्वजनिक प्याऊ एवं मंदिर श्री रामदेव खेजड़ी ग्राम प्रन्यास सुजानदेसर जरिये कार्यवाहक प्रन्यासी ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी बीकानेर न्यायालय में अपील की, जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08-4-2011 में विचारण न्यायालय के मूल निर्णय एवं डिक्री को तो यथावत रखा लेकिन निर्णय में प्याऊ के सार्वजनिक न होकर निजी होने की फाईन्डिंग को इस विवेचन के साथ हटा दिया कि वादी ने दावे में ऐसा कोई अनुतोष चाहा ही नहीं है तथा इस आशय का कोई तनकी बिंदु भी विरचित नहीं हुआ है, अतः विचारण न्यायालय ने वाद की प्लिडिंग्स से बाहर जा कर अपनी गलत फाईन्डिंग दी है। मण्डल न्यायालय में अपीलार्थी वादी ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील संख्या 2011/2395 पेश की है। प्रस्तुत निगरानी संख्या 2011/2393 वादी करनाराम द्वारा विवादित भूमि नम्बर 459 के साथ उसकी अन्य खातेदारी भूमि को भी शामिल कर विचारण न्यायालय में पेश किये गये स्थायी निषेधाज्ञा दावे के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम में प्रदत्त आदेश से संबंधित है। विचारण न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र में पूर्व में एकपक्षीय बहस सुनकर अप्रार्थीगण को इस भूमि में कोई जागरण, शिविर आदि न करने की अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद किया, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति पेश करने पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23-3-2010 द्वारा खसरा नम्बर 459 की हद तक पूर्व में दिनांक 19-3-2010 को प्रदत्त अंतरिम निषेधाज्ञा को प्रभावहीन घोषित कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर न्यायालय में दायर अपील में अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के दिनांक 23-3-2010 के आदेश को यथावत रखा, जिसके विरुद्ध प्रार्थी करनाराम ने मण्डल न्यायालय में यह निगरानी दायर की है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में उभय पक्ष के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 459 रकबा 0.04 हैक्टर बाबत ही केन्द्रित होना परिलक्षित है।

10- अपील प्रकरण में व्यवस्थित निर्णय की सुगमता के उद्देश्य से हम निम्न विश्लेषण बिंदु कायम करना उचित मानते हैं:-

- i) विवादित भूमि व इस पर अवस्थित निर्माण पर विवेचना
- ii) अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का विवेचन
- iii) दावे पर विवेचन एवं अपील में निर्णय

विवादित भूमि व इस पर अवस्थित निर्माण

दावे के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2062 लगायत 2065 में खसरा नम्बर 459 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गै0मु0 प्याऊ के साथ अन्य नम्बर 457 व 458 (किस्म बारानी 2) कुल भूमि 6.19 हैक्टर करनाराम पुत्र परमाराम की खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेंट से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पूर्ण भूमि के साबिक नम्बर 269/2 रकबा 41 बीघा दर्ज होकर यह पहले परमाराम व उसकी मृत्यु पश्चात करनाराम की खातेदारी में थी। प्रस्तुत सेटलमेंट

जमाबन्दी सम्बत् 2050 से 2069 में ए.आर.ओ. आदेश से साबिक नम्बर से बने नये नम्बर 457 से 459 में से अन्य दो नम्बरों की किस्म बारानी द्वितीय दर्ज होकर खसरा नम्बर 459 रकबा 0.04 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन प्याऊ अंकित की गई। जहाँ तक खसरा नम्बर 459 पर बने निर्माणादि का प्रश्न है, प्रकरण में दोनों पक्षों के पक्ष पर मनन उपरान्त यह वस्तुस्थिति स्पष्ट परिलक्षित है कि इस विवादित खसरा नम्बर पर प्याऊ, मंदिर आदि बने हुये हैं। स्वयं वादी के वाद पत्र तथा तहसीलदार बीकानेर के जवाब दावे से भी भूमि पर इस निर्माण का होना प्रदर्शित होता है। वादी का पक्ष है कि प्याऊ व मंदिर उसके निजी हैं जबकि प्रत्यर्थी पक्ष इन्हें सार्वजनिक होना बताता है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड अधिकार अभिलेख से विवादित भूमि अपीलार्थी वादी करनाराम की खातेदारी में अंकित होना सुस्पष्ट है। प्रत्यर्थी प्रन्यास ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि यह भूमि पूर्व में कभी वादी के नाम दर्ज न होकर सार्वजनिक स्वामित्व में दर्ज रही हो। भूमि के स्वामित्व बाबत अधिकार अभिलेख जमाबन्दी मुख्य आधार है तथा जब तक इसके इंद्राज को अन्यथा या गलत होना साबित न कर दिया जाये, इसमें अंकन अनुसार ही स्वामित्व अधिकार की अवधारणा ली जाती है। अगर किसी खाते में एक से अधिक नम्बर हैं तो एकल खातेदार का नाम प्रत्येक नम्बर हेतु अलग-अलग अंकित करना अपेक्षित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदत्त निर्णय

वादी ने दावे में खसरा नम्बर 459 की किस्म गैर मुमकिन प्याऊ से हटा कर पुनः पूर्व की भांति कृषि मुमकिन या काबिल काश्त दर्ज करने का अनुतोष चाहा है, जबकि उसने वादपत्र में माना है कि इस भूमि पर उसकी रिहायश की ढाणी, पानी का कुंड व उसके कुलदेवता रामदेवजी का थान बना हुआ है। तहसीलदार बीकानेर ने भी अपने जवाब में भूमि पर मंदिर, पानी की कुंडी आदि बनी होना बताया है।

खसरा नम्बर 459 का कुल रकबा 0.04 हैक्टर ही होकर इस पर उपरोक्त निर्माणादि स्थिति होने से वादी की भूमि की किस्म पुनः मुमकिन कृषि दर्ज करने की रिलीफ उचित एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। हम उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के उनके निर्णय में इस विनिश्चय से सहमत हैं कि भू-प्रबन्ध विभाग को भूमि के उपयोग में बदलाव की स्थिति में किस्म परिवर्तन का अधिकार है एवं अगर इस नम्बर की किस्म बारानी कृषि भूमि से गैर मुमकिन प्याऊ की गई है तो यह मौके पर भूमि के उपयोग स्थिति अनुसार ही होकर यह निर्णय भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार एवं अधिकारिता अनुसार ही लिया गया है। निर्णय में उपखण्ड अधिकारी द्वारा विवेचन में निम्नानुसार विनिश्चय भी अंकित किया है:-

“प्रश्नगत प्रकरण में हम प्याऊ, मंदिर एवं कुण्ड के लिए अलग सर्वे खसरा नम्बर 459 देना उचित मानते हैं। यद्यपि यह प्याऊ सार्वजनिक नहीं होगी। यह पूर्णतया खातेदार की निजी सम्पत्ति होगी।”

हमारा मानना है कि निर्णय में इस प्रकार प्याऊ का सार्वजनिक न होकर खातेदार की निजी सम्पत्ति होने की टिप्पणी उचित एवं वांछनीय नहीं थी। वादी का वाद पत्र में न तो ऐसा कोई अनुतोष था और न ही ऐसी फाईन्डिंग देना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। उन्होंने दावे के अनुतोष व राजस्व रिकॉर्ड के विश्लेषण पर अपने निर्णय एवं विवेचन को केन्द्रित रखने की बजाय न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवांछित रूप से भूमि पर स्थित निर्माण के स्वामित्व पर अपनी टिप्पणी की। गै0मु0 प्याऊ किस्म की भूमि पर अगर कोई निर्माण स्थित है तो यह किसने व कब बनाया तथा इस पर किसका अधिकार बनता है, इस पर विचारण व निर्णय राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। विद्वान पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर

जाकर निर्णय में फाईन्डिंग दी जो कि प्रकरण में अग्रेतर लिटिगेशन का कारण भी बनी।

विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रन्यास ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील की, जिसमें निर्णय दिनांक 08-4-2011 का क्रियात्मक आदेश इस प्रकार है:-

“अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील सं. 48/09 स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 26-12-2008 तनकी नम्बर बी के अन्तिम पैरा ‘यद्यपि यह प्याऊ सार्वजनिक नहीं होगी। यह सम्पति पूर्णतया खातेदार की निजी सम्पति होगी। अभिलेख में इस प्याऊ को वादी के खाते में ही दर्शाया गया है।’ की हद तक निरस्त करते हैं शेष निर्णय बहाल रखा जाता है तथा अपील सं. 16/10 खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर का आदेश दिनांक 23-3-2010 कायम रखा जाता है।”

इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री व शेष आदेश यथावत रखते हुये आदेश में प्याऊ के स्वामित्व बाबत फाईन्डिंग को निरस्त कर दिया। प्रत्यर्थी प्रन्यास अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए उसे अपील के साथ धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधिमान्य रूप से अपील दायर करने की स्वीकृति लेना आवश्यक था। अपीलीय न्यायालय को भी उक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इस पर पहले निर्णय करते हुये अपील दायर करने की अधिकारिता/योग्यता को विनिश्चित करना अपेक्षित था। लेकिन अपील के साथ न तो धारा 96 सीपीसी आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया गया और न ही न्यायालय द्वारा अपील पेश करने पर पहले धारा 96 सीपीसी बाबत कोई स्पष्ट एवं सकारण विनिश्चय दिया गया। न्यायालय को यह भी देखना था कि क्या अपीलार्थी प्रन्यास विधिवत रूप से संस्थित एवं पंजीकृत है जिससे

उसे अपील पेश करने हेतु विधिक रूप से योग्य होना माना जावे। सार्वजनिक प्रन्यास का राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, जबकि अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 58/2008 में दिये निर्णय दिनांक 2-5-2025 अनुसार विभाग ने प्रन्यास के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार कर दिया है। विभाग ने निर्णय में भूमि तथा इस पर निर्मित प्याऊ व मंदिर के स्वामित्व बाबत स्थिति अस्पष्ट व विवादित होना मान प्रन्यास पंजीयन को न्यायोचित नहीं माना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2009 में विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी प्रन्यास नियमानुसार पंजीकृत नहीं था। हमारा मत है कि मातहत अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील हेतु विधिवत योग्यता व धारा 96 सीपीसी के तहत अपील की अनुमति हेतु आवेदन करने तथा इसे प्रथमतः विनिश्चित करने के आवश्यक विधिक प्रावधान की अवहेलना करते हुये निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल न होने के आधार पर खारिज करने की डिक्री जारी की गयी जबकि प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील में इस डिक्री को चुनौती न देकर मुख्यतः निर्णय में प्याऊ के स्वामित्व बाबत फाईन्डिंग को ही अपील का आधार बनाया है।

इस क्रम में विद्वान अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उल्लेखनीय हैं। नजीर 1974 ए.आई.आर एस.सी पेज 1126 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:-

"Index Note:- (B) Civil P.C. (1908), Section 96, 104 (1) and order 43, Rule 1- Appeal when lies- No appeal lies against a mere finding."

इसी प्रकार 1978 ए.आई.आर. ईलाहाबाद पेज 88 में भी प्रतिपादित किया गया है कि:-

"(A) Civil P.C. (5 of 1908), Ss. 100, 96- Scope:- The Civil P.C. does not contemplate an appeal against a mere finding in the absence of any challenge to the decree itself."

इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपील में डिक्री को चुनौती न देकर निर्णय की किसी फाईन्डिंग के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना विधिमान्य परिलक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार विवेचन उपरान्त हमारा सुविचारित मत है कि मातहत दोनों ही न्यायालयों के निर्णय पुष्ट एवं विधिसम्मत प्रदत्त होना नहीं माने जा सकते हैं तथा विद्वान पीठासीन अधिकारियों ने निर्णय देने में न्यायालय का क्षेत्राधिकार, विधि के आवश्यक प्रावधानों तथा प्रक्रियात्मक विधि के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है, अतः निर्णय गम्भीर रूप से त्रुटिग्रस्त होने से दोनों निर्णय एवं डिक्री स्थापित रखने योग्य नहीं हैं।

दावे पर विवेचन एवं अपील में निर्णय

अपीलार्थी वादी ने खसरा नम्बर 459 रकबा 0.04 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन प्याऊ से मुमकिन काबिल काशत करने का अनुतोष चाहा है जबकि वह स्वयं वादपत्र में स्वीकार करता है कि इस भूमि पर पानी का कुंड, रामदेवजी का थान आदि बने हुये हैं। भू-प्रबन्ध संक्रिया के दौरान खसरा नम्बर 459 की किस्म गैर मुमकिन प्याऊ दर्ज की गई है जो कि मौके पर भूमि के वास्तविक उपयोग की स्थिति के अनुसार ही होकर इस प्रकार किस्म परिवर्तन करना भू-प्रबन्ध के दायित्व व अधिकारिता में आता है। दावे की पृष्ठभूमि में प्रकरण में सारतः विवाद इस भूमि पर बने प्याऊ व मंदिर के स्वामित्व से संबंधित है तथा इस विषयवस्तु पर विचारण एवं विनिश्चय का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। दावे में न तो चाहा गया अनुतोष साबित होता है और न ही विवाद के मूल

कारण व प्रकृति अनुसार यह दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य है। दावे की प्लिडिंग्स इसमें चाहे गये अनुतोष को स्वयं खंडित भी करती हैं। भूमि की किस्म परिवर्तन के ही अनुतोष पर धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पोषणीय भी नहीं है। घोषणा का दावा पोषणीय न होने से धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम बाबत कोई पृथक विवेचन अपेक्षित नहीं है। इस वस्तुस्थिति एवं विधिक परिपेक्ष में दावा निरस्तनीय है।

समस्त विवेचन उपरांत हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकारयोग्य होकर न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी बीकानेर तथा उपखण्ड अधिकारी बीकानेर दोनों द्वारा प्रदत्त निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय हैं तथा वादी करनाराम द्वारा प्रस्तुत दावा 342/2007 भी खारिज किये जाने योग्य है।

11- निगरानी संख्या 2011/2393 पर विस्तृत विवेचन अपेक्षित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण भूमि हेतु प्रस्तुत पृथक दावे के साथ पेश अस्थायी निषेधज्ञा प्रार्थना पत्र में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर अपने निर्णय दिनांक 23-3-2010 से इसे खसरा नम्बर 459 की हद तक निष्प्रभावी किया गया है, जिसकी प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी बीकानेर ने खारिज की है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 459 बाबत विस्तृत विश्लेषण निर्णय के पैरा संख्या 10 में किया जा चुका है, जिसके दृष्टिगत हम निगरानी स्वीकार करने का कोई आधार होना नहीं मानते हैं, अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है।

12- अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपीलार्थी की अपील संख्या 2011/2395 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी बीकानेर तथा उपखण्ड अधिकारी बीकानेर दोनों द्वारा प्रदत्त निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 08-4-2011 तथा दिनांक 26-12-2008 अपास्त किये जाते हैं तथा वादी

करनाराम द्वारा प्रस्तुत दावा 342/2007 खारिज किया जाता है।
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 2011/2393 सारहीन होकर
खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख
लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सिंह)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य